आदेश

शासन द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में समस्त लोकवाणी केन्द्र संचालकों को **दिनांकः 01 अप्रैल, 2013 से दिनांकः 31 जुलाई, 2013** तक एस0एस0डी0जी0 के अन्तर्गत प्रत्येक शासकीय सेवओं हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्र पर 10/– तथा राजस्व विभाग की खतौनी के प्रत्येक प्रार्थनापत्र पर 15/– की दर से **धनराशि भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में लोकवाणी समिति उन्नाव के नाम से दिनांकः 12.08.2013 तक प्रत्येक दशा में जमा करना होगा तथा प्राप्त प्रार्थनापत्रों का विवरण** सम्बन्धित तहसीलदार को **दिनांकः 12.08.2013** तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना होगा। उक्त धनराशि/विवरण जमा न करने की स्थिति में लोकवाणी केन्द्र संचालकों की आई0डी0 बन्द कर दी जायेगी। **लोकवाणी के खाता संख्याः 32953642391 में आ रही तकनीकी खराबी का बैंक द्वारा निराकरण कर दिया गया है।**

(एच0एल0 गुप्ता)
जिलाधिकारी, उन्नाव।

कार्यालय जिलाधिकारी, उन्नाव।

संख्याः 348 /लोकवाणी/यूजर चार्जेज/2013 दिनांकः 8 अगस्त, 2013

प्रतिलिपिः निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)।
2. प्रभारी अधिकारी, लोकवाणी ।
3. समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद उन्नाव।
4. समस्त तहसीलदार जनपद उन्नाव को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थापित लोकवाणी केन्द्रों की जांच कर यह सुनिश्चित कर लें कि केन्द्र संचालक ने **दिनांकः 01 अप्रैल, 2013 से 31 जुलाई, 2013** तक एस0एस0डी0जी0 के अन्तर्गत जमा किये गये प्रार्थनापत्रों की धनराशि बैंक में जमा की है अथवा नहीं। यदि नहीं तो उसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित करें। केन्द्र संचालकों से उक्त अवधि में जमा किये गये प्रार्थनापत्रों का विवरण भी प्राप्त करें।

जिलाधिकारी, उन्नाव।